न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी(पाली) राज. केम्प कोर्ट सादडी

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेश मेवाडा (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 73/2012
दायर तिथि :– 09.08.2012
निर्णय दिनांक :– 29.06.2018

वादीगण :–

1. भरतसिंह राजपूरोहि पुत्र प्रकाशसिंहजी
   जाति–राजपुरेहित निवसी–मादा
2. सद्दीक खां पुत्र उमरावखांजी
   जाति–मुसलमान निवासी–सादडी
   तहसील–देसूरी, जिला–पाली राजस्थान

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. मोडाराम पुत्र भबुतरामजी
2. नेनुदेवी पत्नि मोडारामजी
   जातिगण–रेबारी, निवासीगण रेबारियों का झुपा सादडी
   तहसील–देसूरी, जिला–पाली, राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी

वाद अन्तर्गत धारा 53, 89, 188 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– **दिनांक :–29.06.2018**

पत्रावली न्याय आपके द्वार लोक अदालत केम्प कोर्ट सादडी प्रस्तुत हुई। वादीगण उपस्थिति।

पत्रावली उवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गयसा। यह वाद वादी द्वारा कृषि भूमि विभाजन का प्रस्तुत है एवं वादी की शहादत में लम्बित है। विभाजन कृषि भूमि का वाद होने से उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार यह वाद गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते है।

वादीगण ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सादडी चक द्वितीय में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 5463, 5465, 5466, 5473, 5474 कुल रकबा 2.94 हेक्टर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि विद्यमान है जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 2/3 हिस्सा खातेदारी है। वादीगण द्वारा उक्त 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के भाई देवाराम से जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.07.2012 को खरीद कर जरि ना.क. संख्या 1054 दिनांक 24.07.2012 के अधिकार अभिलेखों में 1/3 हिस्से का अंकन विादीगण के नाम दर्ज किया गया। प्रतिवादी वादीगण के आग्राह किये जाने के बावजूद बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन के लिए तैयार नहीं है एवं वादीगण के 1/3 संयुक्त हिस्से मे दखलन्दाजी करते है। अतः वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 से वादोतर प्रस्तुत कर निवदेन किया कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा नहीं है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त समपूर्ण भूमि खरीद नहीं की।

हमने पत्रावली एवं राजस्व रेकार्ड का गंभीरता से अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि बन्दोवस्त से पूर्व राजस्व रेकार्ड में गत खसरा नम्बर 1776, 1777, 1778 कुल रकबा 17 बीघा 13 बिस्वा भूमि के 1/3 हिस्से का खातेदार ईश्वरसिंह पुत्र अचलसिंह राजपुत राजस्व रेकार्ड में दर्ज था। उक्त 1/3 हिस्से के खातेदार ईश्वरसिंह द्वारा जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.02.1985 के द्वारा देवाराम पुत्र भबूतराम राईका को विक्रय किया गया। नवीन बन्दोवस्त रेकार्ड प्राप्त होने के बाद वादग्रस्त भूमि नवीन ख.न. 5463, 5465, 5466, 5473, 5474 कुल रकबा 2.94 हेक्टर किस्म नहरी दोयम में देवाराम पुत्र भबुताराम 1/3 हिस्सा एवं मोडाराम पुत्र भबुताराम 2/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज की गई। उक्त तथ्य पंजिकृत विक्रय पत्र की छाया प्रति एवं अधिकार अभिलेखों से प्रमाणित है। पश्चात उक्त 1/3 हिस्से के खातेदार देवाराम द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.07.2012 उक्त 1/3 हिस्सा वादीगण को विक्रय किया गया एवं माफिक विक्रय पत्र जरिए ना.क. संख्या 1054 दिनांक 24.07.2012 के वादीगण के नाम 1/3 हिस्सा अधिकार अभिलेख यथा जमाबंदी में प्रविष्ठ किया। इस प्रकार वादीगण को वादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्सा के हक अधिकार पंजीकृत दस्तावेज के अनुसार हासिल हुये है। प्रतिवादी द्वारा न तो प्रथम पंजीकृत बेचान दिनांक 23.02.1985 जिसके द्वारा पूर्व खातेदार ईश्वरसिंह द्वारा अपना 1/3 हिस्सा देवाराम को विक्रय किया गया तथा द्वितीय पंजीकृत बेचान दिनांक 13.07.2012 जिसके द्वारा क्रेता खातेदार देवाराम द्वारा धारित 1/3 हिस्सा वादीगण को बेचान किया गया है, को निरस्त कराने के लिये सक्षम सिविल न्यायालय में किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं दी गई एवं न ही वादीगणों के पक्ष में दाखिल ना.क. संख्या 1054 की कोई अपील भी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत की गई। ऐसी स्थिति में पंजीकृत विक्रय विलेख वर्तमान में प्रभावशील है तथा पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा वादीगण को हस्तांतरित की गई भूमि के संबंध में विक्रय विलेख का विवेचन किये जाने का क्षेत्राधिकार भी इस न्यायालय का नहीं है। वादीगण अभिलेखीय 1/3 हिस्से के खातेदार है एवं अपने हिस्से के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स वादग्रस्त भूमि का विभाजन एवं स्थाई आज्ञाप्ति का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि मौजा सादडी चक द्वितीय के खसरा नम्बर 5463, 5465, 5466, 5473, 5474 कुल रकबा 2.94 हेक्टर किस्म न.दो. लगान 35.28 रूपये वादीगण के 1/3 हिस्सा का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा विभाजित 1/3 हिस्सा वादीगण के कब्जे में प्रतिवादीगण द्वारा दखलन्दाजी नहीं किये जाने की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तहसीलदार देसूरी वादग्रस्त भूमि के वादीगण का 1/3 हिस्सा का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स रास्ता इत्यादि सुविधाए रखते हुये विभाजन का प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। विभाजन प्रतिवेदन प्रस्तुत होने पर पृथक से इजराय पत्रावली वास्ते अंतिम डिक्री कायम की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार देसूरी एवं पटवारी हल्का सादडी चक द्वितीय को भिजवाये जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को केम्प कोर्ट सादडी में सुनाया गया।

(राजेष मेवाडा)
उपखण्ड अधिकारी

प्रपत्र 5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी शिविर – सादडी

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. भरतसिंह राजपूरोहि पुत्र प्रकाशसिंहजी
   जाति–राजपुरेहित निवसी–मादा
2. सद्दीक खां पुत्र उमरावखांजी
   जाति–मुसलमान निवासी–सादडी
   तहसील–देसूरी, जिला–पाली राजस्थान

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. मोडाराम पुत्र भबुतरामजी
2. नेनुदेवी पत्नि मोडारामजी
   जातिगण–रेबारी, निवासीगण रेबारियों का झुपा सादडी
   तहसील–देसूरी, जिला–पाली, राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी

दावा बाबत 53, 89, 188 राज.काश्त. अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर :– **73/2012**

निर्णय दिनांक :– **29.06.2018**

वादीगण की ओर से **वादी उपस्थित** व प्रतिवादी की ओर से **प्रतिवादीगण संख्या 3 उपस्थित** में इस वाद में आज तारीख **29.06.2018** को (नाम पीठासीन अधिकारी) **राजेश मेवाडा आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि मौजा सादडी चक द्वितीय के खसरा नम्बर 5463, 5465, 5466, 5473, 5474 कुल रकबा 2.94 हेक्टर किस्म न.दो. लगान 35.28 रूपये वादीगण के 1/3 हिस्सा का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा विभाजित 1/3 हिस्सा वादीगण के कब्जे में प्रतिवादीगण द्वारा दखलन्दाजी नहीं किये जाने की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तहसीलदार देसूरी वादग्रस्त भूमि के वादीगण का 1/3 हिस्सा का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स रास्ता इत्यादि सुविधाए रखते हुये विभाजन का प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। विभाजन प्रतिवेदन प्रस्तुत होने पर पृथक से इजराय पत्रावली वास्ते अंतिम डिक्री कायम की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार देसूरी एवं पटवारी हल्का सादडी चक द्वितीय को भिजवाये जावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **29** माह **जून** सन् **2018** को जारी किया गया।

मोहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी